


:: आदेश ::

बैंक प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 14.09.2017 में पारित प्रस्ताव संख्या-05 एवं शासनादेश संख्या-13/48/85-कार्मिक-1 दिनांक 26.10.1985 में अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु गठित की जाने वाली स्कीनिंग कमेटी हेतु उल्लिखित व्यवस्था के क्रम में अधोलिखित स्कीनिंग कमेटी का गठन किया जाता है :-

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1- प्रबन्ध निदेशक | - अध्यक्ष |
| 2- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी | - सदस्य |
| 3- मुख्य महाप्रबन्धक(प्रशासन) | - सदस्य/संयोजक |


(के० पी० सिंह),
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।


आदेशांक- 18310

/स्थापना/2017-18

दिनांक : 27.02.18

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. समस्त शाखा प्रबन्धक उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अधिकारीगण, प्रधान कार्यालय लखनऊ
3. प्राचार्य, प्रशिक्षण केन्द्र, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि० लखनऊ।
4. उप महाप्रबन्धक,(कम्प्यूटर) प्रधान कार्यालय लखनऊ को इस निर्देश से कि वह बैंक की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
5. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय लखनऊ।
6. मुख्य महाप्रबन्धक(प्रशासन) उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय लखनऊ।
7. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय लखनऊ।
8. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवामण्डल, सेक्टर 21 रिंग रोड, इंदिरा नगर लखनऊ।
9. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
10. निजी सचिव, माननीय सभापति, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय लखनऊ।


27.02.18
(आर०बी० गुप्ता),
मुख्य महाप्रबन्धक(प्रशासन)